

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग
विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र.

क्रमांक/आईसीडीएस/2020/क्यू
प्रति,

भोपाल, दिनांक— 22.03.2020

कलेक्टर,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश

विषय:— नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन के संबंध में।

संदर्भ:— म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्र 38 बी दिनांक 22.03.2020

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत अमले को दिनांक 31 मार्च 2020 तक शासकीय कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त पत्र के पालन में प्रदेश के शहरी क्षेत्र के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र 31 मार्च 2020 तक पूर्णतः बन्द रखे जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में 31 मार्च 2020 तक केवल ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस को आंगनवाड़ी एवं मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में ए.एन.सी., टीकाकरण तथा सभी हितग्राहियों को टेक होम राशन वितरण की कार्यवाही की जाये। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संबंध में बचाव हेतु जारी सभी उपाय सुनिश्चित किये जायें।

(आयुक्त म.बा.वि. द्वारा आदेशित)



(महेन्द्र द्विवेदी)

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/आईसीडीएस/2020/क्यू
प्रतिलिपि:—

भोपाल, दिनांक— 22.03.2020

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
 2. संभागीय आयुक्त, संभाग— समस्त, मध्यप्रदेश
 3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल, मध्यप्रदेश
 4. संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास, संभाग— समस्त, मध्यप्रदेश
 5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला—समस्त, मध्यप्रदेश
 6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, परियोजना—समस्त, जिला—समस्त, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश